

एमआरओ/डॉस/डीएके/2024/03875

13 दिसंबर, 2024

प्रति,

सर्भा पंजीकृत आवास वित्त कम्पनियों

महोदया/महोदय,

अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और कंपनी सचिव (सीएस) की भूमिकाओं का पृथक्करण

कृपया हमारे पत्र संख्या एमआरओ/डीओएस/डीएके/2024/03456 दिनांक 20 सितंबर, 2024 का सम्बन्ध लेने का कष्ट करें।

2. अनुपालन कार्य की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी सचिव (सीएस) को आवास वित्त कंपनियों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में कार्य करने की अनुमति न प्रदान करें।

3. तदनुसार, आवास वित्त कंपनियों को 31 दिसंबर, 2024 तक इस परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा उसका अनुपालन प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

अध्यक्ष पाई  
(एस.के. पाटी)  
महाप्रबंधक  
पर्यवेक्षण विभाग

